अंजुमन इस्लामियाँ हॉल का पुर्ननिर्माण कार्य हेतु दिनांक 04.08.2017 को प्राप्त ई0-निविदा का वित्तीय बीड निस्तार के लिए निगम निविदा समिति का दिनांक 10.10.2018 को आहूत बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

1. **श्री अमित कुमार,** प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना। अध्यक्ष
2. **श्री उपेन्द्र नारायण,** अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना। सदस्य
3. **श्री अमित कुमार,** संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भ0नि0वि0, पटना। सदस्य
4. **श्री राकेश कुमार,** मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना। सदस्य
5. **श्री तपेश्वर प्र0 साह,** महाप्रबंधक (वित्त), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना। सदस्य
6. **श्री रंजित प्र0 सिंह,** महाप्रबंधक (दक्षिण), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना। सदस्य

कार्यवाही:-

1.योजना का नामः- अंजुमन इस्लामियाँ हॉल का पुर्ननिर्माण कार्य।

2.प्रशासनिक स्वीकृति की राशि:- ₹3518.00 लाख

3.प्रावैधिक स्वीकृति की राशि:- ₹4140.00 लाख

4.परिमाण विपत्र की राशि:- ₹39,13,65,408.00

5.निविदा प्राप्त करने की तिथि:- 04.08.2017

6.निविदा खोलने की तिथि:- 07.08.2017

7.निविदा प्रसारण का माध्यम:- ई-निविदा एवं दैनिक समाचार पत्र

8.निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन की तिथि एवं प्रकाशित समाचार पत्र का नामः- हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभागत खबर, दैनिक भाष्कर, इंडियन एस्प्रेस का दिनांक 20.07.17 का अंक

9.प्रकाशन का पी0आर0 संख्या:- 4375 (BSBCCL) 2017-18

प्रथमवार आमंत्रित निविदा की स्थिति:- इस कार्य हेतु दिनांक 10.07.2017 को निविदा प्राप्त की गई थी, जिसमें किसी भी निविदादाता द्वारा भाग नही लिया गया जिसके कारण पुनर्निविदा आमंत्रित की गयी।

द्वितीयवार आमंत्रित निविदा की स्थिति:- इस कार्य हेतु दिनांक 04.08.2017 को निविदा प्राप्त की गई थी। उक्त निविदा में दो निविदादाताओं द्वारा भाग लिया गया था, जिसमें एकमात्र निविदादाता ''अदयाराज डेवलॉपर प्रा0 लि0, 202 विष्णु पैलेस, ईस्ट बोरिंग केनाल रोड, पटना-01'' को सफल घोषित किया गया था, तथा इनके द्वारा अनुसूचित मदों में अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि ₹25,51,23,010.00 से 1.50% अधिक यानि ₹25,89,49,855.15 (पच्चीस करोड़ नवासी लाख उनचास हजार आठ सौ पचपन दशमलव एक पाँच रूपये) तथा गैर अनुसूचित मदों मे परिमाण विपत्र में अंकित राशि ₹13,62,42,398.00 के विरुद्ध कुल ₹12,93,47,287.00 (बारह करोड़ तिरान्वे लाख सैतालीस हजार दो सौ सतासी दशमलव शून्य रूपये) उद्धृत की गयी थी, यानि कुल उद्धृत राशि ₹38,82,97,142.00 (अड़तीस करोड़ बेरासी लाख संतानवे हजार एक सौ बयालिस दशमलव शून्य रूपये) मात्र है, जो परिमाण विपत्र का राशि ₹39,13,65,408.00.00 से 0.78% कम है।

एकल निविदा होने के कारण वित्त विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 7806(वि) दिनांक 30.09.2016 में निहित निदेश ''एकल निविदा का एक स्तर के उपर के प्राधिकार से निविदा निस्तार किया जायेगा'', के आलोक में निदेशक परिषद् की 37वीं बैठक में उक्त निविदा पर विचारोपरांत निदेशक पर्षद का निर्णय निम्न रूप से प्राप्त हुआ:-

"In view of above the Board directed that the system of recommending/accepting single tender should be resorted to only under exceptional and compelling circumstances. The Board further directed that with all recommendations to accept single tender by the competent authority, the recommending authority must furnish a certificate as mentioned above. In case of any uncertainty about lower rates not expected on recall of tenders, such single tender must be cancelled and process of re-tendering should be started ensuring wider publicity and fairer competition." निदेश्क पर्षद् के उक्त निर्णय के आलोक में निगम कार्यालय का पत्रांक- 3064 दिनांक 06.10.2017 द्वारा संवेदक से स्वेच्छापूर्वक 10% कम दर पर कार्य करने हेतु एक सप्ताह के अन्दर

196

सहमति की मांग की गयी, जिसके आलोक में संवेदक के द्वारा कहा गया कि बिना मोल भाव के मेरे द्वारा उद्धृत दर पर निविदा निष्पादन करने की कृपा की जाय। चूँकि इस कार्य की पुनर्निविदा करने पर उद्धृत दर (0.78% कम) से कम दर पर निविदा प्राप्त होने की संभावना है, अतएव तकनीकी मुल्यांकन समिति के द्वारा निदेशक पर्षद की 37वीं बैठक में दिए गये दर संबंधित निदेश के लिए प्रमाण-पत्र नही दी जा सकती है।

साथ ही निदेशक पर्षद की 37वीं बैठक में लिये गये निर्णय ''पुनर्निविदा करने पर इससे कम दर पर निविदा प्राप्त होने की स्थिति में यदि अनिश्चिचता रहती है, तो ऐसे एकल निविदा को रद्द कर वृहत् पैमाने पर निविदा प्रकाशित करते हुए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की कार्रवाई की जाय।'' के आलोक में निगम निविदा समिति की दिनांक 20.10.2017 की बैठक में इस निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया गया था।

इसी कम मे निविदादाता ''अदयाराज डेवलॉपर प्रा0 लि0, 202 विष्णु पैलेस, ईस्ट बोरिंग केनाल रोड, पटना-01'' द्वारा निगम निविदा समिति के निर्णय के आलोक में दिनांक 30.10.2017 को माननीय, पटना उच्च न्यायालय, पटना में (CWJC no. 15623/2017, Adya Raj developer Pvt. Ltd. V/s The State of Bihar & Other) दायर किया।

तृतीयवार आमंत्रित निविदा की स्थिति:- इस कार्य हेतु दिनांक 27.12.2017 को निविदा प्राप्त की गई थी। उक्त निविदा में एकमात्र निविदादाता ''मेसर्स बी0 राय0 कंस्ट्रक्शन कंपनी, गुप्तेश्वर कमप्लेक्स, बेकर बाँध, धनबाद, झारखण्ड,'' को असफल घोषित किया गया था।

न्यायालय का निर्णय:-

दिनांक 06.03.2018 को माननीय, पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निगम का पत्रांक 3064 दिनांक 06.10.2017 को खारिज कर दिया गया। निर्णय के विरोध में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा माननीय, पटना उच्च न्यायालय, पटना एल0पी0ए0 सं0 489/2018 दिनांक 05.04.2018 दायर किया गया। जिसके संदर्भ में दिनांक 07.09.2018 को पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अपील को निरस्त करते हुए दिनांक 06.03.2018 को पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये निर्णय को सही बताया गया।

उक्त फैसले की प्रति के साथ निविदादाता अदयाराज डेवलॉपर प्रा0 लि0 के द्वारा दिनांक 28.09.2018 को पत्र दिया गया, जिसमे उनके द्वारा उक्त निर्णय के आलोक में कार्यावंटन आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

अतएव, उक्त तथ्यों के आलोक में तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से निविदादाता ''अदयाराज डेवलॉपर प्रा0 लि0, 202 विष्णु पैलेस, ईस्ट बोरिंग केनाल रोड, पटना-01'' को इनके द्वारा उद्धृत राशि ₹38,82,97,142.00 (अड़तीस करोड़ बेरासी लाख संतानवे हजार एक सौ बयालिस दशमलव शून्य रूपये) पर कार्यावंटन आदेश निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

10. निगम निविदा समिति का निर्णय:-

उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 06.10.2018 की अनुशंसा (संलग्न) के आलोक में इस निविदा के सफल निविदादाता ''अदयाराज डेवलॉपर प्रा0 लि0, 202 विष्णु पैलेस, ईस्ट बोरिंग केनाल रोड, पटना-01'' को इनके द्वारा उद्धृत राशि ₹38,82,97,142.00 (अड़तीस करोड़ बेरासी लाख संतानवे हजार एक सौ बयालिस दशमलव शून्य रूपये) पर कार्यावंटन के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना के LPA No-489/2018 में पारित न्यायादेश के आलोक में अनुसंशा की जाती है ।

11. निगम निविदा समिति की इस कार्यवाही को निगम बेवसाईट पर डाली जाय।

10.10.18	Tapeshwar 10.10.18	10/X/18
(रंजित प्र0 सिंह)	(तपेश्वर प्र0 साह)	(राकेश कुमार)
महाप्रबंधक (दक्षिण)	महाप्रबंधक (वित्त)	मुख्य महाप्रबंधक
बि0रा0भ0नि0नि0लि0, पटना।	बि0रा0भ0नि0नि0लि0, पटना।	बि0रा0भ0नि0नि0लि0, पटना।
10/X/18	10/10/18	10/X/18
(अमित कुमार)	(उपेन्द्र नारायण)	(अमित कुमार)
संयुक्त सचिव-सह-आ0 वित्तीय सलाहकार, भ0नि0वि0, पटना।	अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना।	प्रबंध निदेशक बि0रा0भ0नि0नि0लि0, पटना।